<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।</u>

परिवाद संख्या– 262/2025

भूरे खाँ **–बनाम–** सहवाज आदि

<u>10.03.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर परिवादी उपस्थित नहीं आया।

पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० के बयान हेतु नियत चली आ रही है। परिवादी को बास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० हेतु अंतिम अवसर दिया जा चुका है, किन्तु परिवादी न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी उक्त मुकदमे में अब कोई रूचि नहीं ले रहा है और वह उक्त वाद को चलाना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को बतौर अभियुक्त तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 226 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>–आदेश–</u>

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 226 बी० एन० एस० एस० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम० जलेसर, एटा
(J.O. Code UP 4823)